P 1 Tender/

# कार्यालय जिलाधिकारी अयोध्या

## (खनन अनुभाग)

पत्रांक 2596 /तीस उपखनिज/ड्रेजिंग बालू/2019 दिनांक 11 /02/2019

**ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अयोध्या में सरयू नदी की धारा को श्री राम की पैड़ी के समीप (गुप्तार घाट से गोला घाट के नजदीक तक) लाने हेतु की जा रही ड्रेजिंग के फलस्वरूप स्थल से (ड्रेज्ड मैटेरियल) साधारण बालू निकला है। जिसके निस्तारण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 226/86–2019–07(सा0)/2019 दिनांक 05.02.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 02 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से बालू हटाये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है। उक्त के क्रम में दिनांक 12.02.2019 से दिनांक 19.02.2019 अपराह्न 2.00 बजे तक क्षेत्र से बालू हटाये जाने हेतु etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

**भण्डारित बालू का विवरण :–**

| क्र0 सं0 | तहसील | ग्राम /खण्ड संख्या | खनिज का नाम | नदी का नाम | एकत्रित बालू की मात्रा घनमीटर में | साधारण बालू की प्रचलित दर घनमीटर में | न्यूनतम आरक्षित मूल्य | कुल धनराशि का 75% अर्नेस्ट मनी रू0 में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सदर | गुप्तारघाट (मीरनघाट) | साधारण बालू | घाघरा | 3,50,000 | रू0 65.00/ घन मी0 | 2,27,50,000.00 | 1,70,62,500.00 |

2– सभी खण्डों से बालू हटाने की अवधि 02 माह अथवा नदी के जलस्तर बढ़ने, जिसके कारण बालू हटाना संभव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।

3– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है,
जिसमें निम्न हो–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
भण्डारित स्थल का नाम/ग्राम–

ङ निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं0। (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटरआईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

च. खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगीं।

छ. एकत्रित किये गये बालू की मात्रा(घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्रापट जिलाधिकारी अयोध्या के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगीं। बैंक ड्रापट की मूल प्रति–ई निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्रापट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगी उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

झ. उस जिले के जिलाधिकारी, से जारी चरित्र प्रमाणपत्र जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है।

ञ. पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।

4– ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 12.02.2019 से दिनांक 19.02.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल htpp:// etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जा सकेंगीं।

5– विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्यदिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस अर्थात दिनांक 20.02.2019 को अपरान्ह 12.30 बजे में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।

6– बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 03 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व जमा करना होगा तथा बैक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक , क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगां।

7– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

8– जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

9– भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिये सम्बन्धि जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

10. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के अनुज्ञा पत्र के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के 02 दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिये कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नही होगी।

11. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक मार्ग की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नही होगी।

12. ई–निविदा में दी गयी दर को गुणा कर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

13. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिये पहुँचमार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

14. मा0. न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगें।

15. नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रू0 65.00 प्रति घनमीटर है।

32

16. निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति धारक उत्तरदायी होगा।
17. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।
18. निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 20.02.2019 को अपरान्ह 12.30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित निविदा समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
19. सफल निविदादाता को देय रायल्टी पर 2 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत जिला न्यास निधि देय होगी।

(डा0 अनिल कुमार)
जिलाधिकारी
अयोध्या।

पत्र संख्या– 2596 /तद दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या, भूतत्व एवं खनिकर्म,
6. निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय सी0डी0 सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
7. अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल–प्रथम, 67–ए कैंट, कानपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड, वाराणसी को उनके पत्रांक 56/वै0या0अनु0ख0वा0/ड्रेजिंग दिनांक 22.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
9. जिला सूचनाधिकारी अयोध्या।
10. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद अयोध्या को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
11. खान अधिकारी अयोध्या।
12. नजिर सदर कलेक्ट्रेट अयोध्या को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
13. सभासद गुप्तारघाट, को तहसीलदार सदर के माध्यम से कि वांछित विज्ञप्ति/सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
अयोध्या।

प्रारूप–2

## खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

**महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो | |
| 2. | विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक | |
| 3. | निविदाकार का नाम | |
| 4. | निविदाकार के पिता का नाम | |
| 5. | स्थाई पता | |
| 6. | वर्तमान पता | |
| 7. | मोबाईल नम्बर | |
| 8. | ई–मेल आईडी | |
| 9. | पैन कार्ड नम्बर | पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |
| 10. | पता का प्रमाण पत्र (पता के प्रमाण पत्र के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटरआइडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म /कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)। | पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |
| 11 | जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण<br>क. उपखनिज का नाम–<br>ख. जनपद का नाम–<br>ग. तहसील का नाम–<br>घ. खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–<br>ड़. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–<br>च. क्षेत्रफल (एकड़ में) | |
| 12. | निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र | घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |
| 13. | जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र | चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |
| 14. | खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जा रही दर जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिये निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। | रू0–.....प्रति घन मी0 (अंको में)<br>रू0–.....प्रति घन मी0 (शब्दों में) |
| 15. | विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिये दी गयी खनन योग्य भण्डार की मात्रा | -------- घनमीटर |
| 16. | क्षेत्र में खनन योग्य भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची–1 में उपखनिज के लिये प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।<br><br>__उदाहरण–__ यदि भण्डार की मात्रा 10,000 घनमीटर है तथा रायल्टी दर 100 रूपये प्रति घनमीटर है तो अग्रिम धनराशि 10,000 X 100 X 0.75 अर्थात रूपया 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) होगी | बैंक ड्राफ्ट की धनराशि --------<br>बैंक का नाम व शाखा ---------<br>ड्राफ्ट का नम्बर --------------<br>बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

स्थानः–

निविदाकार के हस्ताक्षर